भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2855

उत्तर देने की तारीख: 12.08.2026

पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (पीएमएस) योजना

2855. **श्री बृज लाल:**
श्रीमती लक्ष्मी वर्मा:
श्री रायगा कृष्णैया:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (पीएमएस) के उद्देश्य क्या हैं;
(ख) देशभर में अनुसूचित जाति के छात्रों को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए निर्धारित वार्षिक लक्ष्य का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए आय पात्रता मानदंड क्या हैं; और
(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ को जारी की गई केंद्रीय सहायता और लाभार्थियों की संख्या का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रामदास आठवले)

(क): अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति के छात्रों के सकल नामांकन अनुपात को काफी बढ़ाना है। इसमें सबसे गरीब परिवारों के छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ताकि उन्हें पोस्ट-मैट्रिक या पोस्ट-सेकेंडरी स्तर पर वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी शिक्षा पूरी करने में सहायता की जा सके।

(ख): इस योजना के तहत, इसकी कार्यान्वयन एजेंसियां होने के नाते राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से वार्षिक कार्य योजनाएं मांगी जाती हैं। यह योजना पूरे भारत के सभी मान्यता प्राप्त संस्थानों के पात्र छात्रों के लिए खुली और मांग पर आधारित है। केंद्रीय हिस्से की राशि जारी करना पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने हिस्से की राशि का अंतिम रूप से भुगतान करने के बाद, उससे संबंधित सत्यापित किए गए डेटा को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर भेजें, ताकि केंद्रीय हिस्से का संवितरण किया जा सके।

(ग): छात्रवृत्ति उन छात्रों को दी जाती है जिनके माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से होने वाली आय 2.5 लाख रुपये (दो लाख पचास हजार रुपये) से अधिक न हो।

(घ): **पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान** छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत लाभार्थियों की संख्या और जारी की गई केंद्रीय सहायता का विवरण **संलग्नक-I** में दिया गया है।

संलग्नक-I

पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (पीएमएस) योजना के संबंध में श्री बृज लाल, श्रीमती लक्ष्मी वर्मा तथा श्री रायगा कृष्णैया द्वारा पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2855, जिसका उत्तर 12.08.2026 को दिया जाना है, के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत लाभार्थियों की संख्या और जारी की गई केंद्रीय सहायता का विवरण:

वित्तीय वर्ष	जारी की गई केंद्रीय सहायता (रुपये करोड़ में)	लाभार्थियों की संख्या
2021-22	29.00	87,464
2022-23	45.00	96,267
2023-24	36.14	79,237
2024-25	39.96	87,675
2025-26	53.60	96,839

*****